141

(To be substituteb for the letter bearing same No. and date)

क्रमांकः 6/13/93-2जी 0 एस0 **I**

प्रेथक

मुख्य सन्दिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- सभी विभागाध्यक्षः आयुक्त, अञ्चलाः हिसार, रोहतक एवं गुक्नांव मण्डल ।
- सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल प्रधिकारी (नापरिक)
- रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा अक्च न्थायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18 मार्च, 1994

विषय :- वर्कचार्जं/कॅज्ञुअल/दैश्निक वेतनभागी कर्मचारियों की नियमित करने बारे नीति । महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर काक्षा ध्योम इस विकास के परिपद प्रकांक क/4/80-2 की 0 एस 0 दिक्का 27 जिस द्वारा 31-3-93 को पांच वर्ष को दैदिक वेतन सर सेना पूरी करने वाले कमंबारियों को विश्वित करने के बारी किए गये थे, की घोर दिलाने का दिवास हुआ है। कुछ समय से सरकार के यह दिवासकीन बाकि की के दौरान देनिक वेतन पर की गई सेना में कितना बेक होना चाहिए तथा क्या जिन कर्मचारियों ने पृथक-पृथक प कार्य किया हो जिनके पद नाम भिन्न-भिन्न हों और अन्य सर्ते पूरी करते हों, उनको नियमित किया जाना है। में सरकार ने विचार करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने दिनांक 31-3- पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो व दिनांक 31-3-93 को सेवा में हों और प्रत्येक वर्ष में 240 दिन सेवा उन्हें नियमित कर दिया जाए, परन्तु वर्ष में किसी एक ही समय पर 30 दिन से अधिक देक महीं होना चाहिए तक पृथक-पृथक पदों पर भिन्न भिन्न पद नामों से कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियमित करने का प्रका है, प यह निर्णय लिया गया है कि यदि ऐसे कर्मचारी अन्य गर्ते पूरी करते हों और एक ही विभाग में भिन्न-भिन्न पर वाले पृथक-पृथक पदों पर सेवा की हो तो उन्हें नियमित कर दिया जाए।

भवदीया, इस्ताक्षर संयुक्त सचिव, सामान्य प्रमाह इस्ते;-भूका सम्बद्ध, हिरियांचा सरा

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त_। आयुक्त एवं सचिव को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक । ेन् प्रेसित की जाती हैं।

> हस्ताकर संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशास कृतेः मुख्य सचिच, हरियाणा सर।